बिहार सरकार
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

आदेश

पटना, दिनांक 12.02.2026

संचिका संख्या–अ०सं०क०–08–ग–आ०वि०(स्था०)11/2024.....88........../सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक–10000, दिनांक–10.07.2015 एवं आदेश संख्या–9871, दिनांक–25.06.2024 में निहित प्रावधानों एवं शर्त्तों तथा अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में गठित विभाग स्तरीय चयन समिति की दिनांक–27.01.2026 की बैठक की कार्यवाही में की गयी अनुशंसा के आलोक में विभाग द्वारा संचालित बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय में निम्नांकित सेवानिवृत्त कार्यालय परिचारी को संविदा के आधार पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–06 के अनुसार पदस्थापित स्थल पर नियोजित किया जाता है :–

क्र० सं०	संविदा नियोजित कार्यालय परिचारी का नाम एवं विद्यालय का नाम, जहाँ से सेवानिवृत्त हुए हैं	पदनाम	जन्म तिथि/सेवानिवृत्ति की तिथि	कोटि	पदस्थापन स्थान
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	श्री महबुब आलम	विद्यालय परिचारी	09.09.1965 30.09.2025	अनारक्षित	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, किशनगंज

2. संविदा के आधार पर नियोजन हेतु चयन सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक–10000, दिनांक–10.07.2015 की कंडिका–3 (2)(क) (v) तथा 3 (2)(ख) (v) के तहत् प्रावधानित अवधि के लिए अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति होने तक के लिए होगा तथा अधिकतम निर्धारित उम्र तक आवश्यकतानुसार एक–एक साल के लिए उनका सेवा विस्तार उनके कार्यों की समीक्षा के उपरांत किया जा सकेगा और कार्य संतोषजनक नहीं रहने की स्थिति में उनकी संविदा रद्द की जा सकेगी। विशेष परिस्थिति में संबंधित विभाग द्वारा अपने अधीन सेवानिवृत सरकारी सेवकों का संविदा–विस्तार सामान्य प्रशासन विभाग से निर्गत संकल्प ज्ञापांक–3978, दिनांक–23.03.2018 की कंडिका–5 के आलोक में विभाग स्तरीय चयन समिति की सहमति से संकल्प के तहत् निर्धारित उम्र तक किया जा सकेगा।

3. संविदा पर नियोजित विद्यालय विद्यालय परीचारी को मासिक मानदेय उन्हें प्राप्त होने वाले अंतिम वेतन + सेवानिवृत के समय अंतिम वेतन पर मंहगाई भत्ता के योगफल की राशि में से पेंशन की राशि + सेवानिवृत के समय पेंशन की राशि पर प्राप्त मंहगाई भत्ता की राशि को घटाने के बाद जो राशि प्राप्त होगी अथवा शिक्षा विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक–273, दिनांक–18.02.2021 के अनुरूप नियत वेतन 15200.00 रूपये प्रति माह में से जो राशि कम होगी, वही देय होगा।

4. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र सं०–1012 दिनांक–27.01.2022 के आलोक में संविदा नियोजन के उपरांत भी योगदान की तिथि तक सेवानिवृत कर्मियों के विरूद्ध सेवाकाल के अंतिम 10 वर्षो में कोई वृहत् दण्ड अथवा अंतिम 05 वर्षो में कोई दण्ड (लघु/वृहत) अथवा बिहार पेंशन नियमावली के संगत प्रावधानों के अधीन पेंशन से कटौती का कोई दण्ड अधिरोपित होने का मामला यदि संज्ञान में आता हो तो वैसी परिस्थिति में नियोजित कर्मी के द्वारा दिये गये योगदान को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जायेगा।

5. यह नियोजन पूर्णतः अस्थायी है। संविदा नियोजन के पश्चात किसी प्रकार के आरोप की सूचना प्राप्त होने की स्थिति में नियोजन रद्द करते हुए विधिसम्मत् कार्रवाई की जायेगी।

6. संविदा नियोजन आदेश के आलोक में संबंधित अभ्यर्थी के द्वारा उक्त पद पर योगदान करने की तिथि से संविदा नियोजन/संविदा अवधि–विस्तार प्रभावी होगा।

7. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक–10000, दिनांक–10.07.2015 की कंडिका–5 के तहत आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त सरकारी सेवकों की भाँति क्षतिपूर्ति अवकाश भी अनुमान्य होगा।

8. संविदा के आधार पर विद्यालय परिचारियों के मानदेय का भुगतान मुख्य शीर्ष–2225, उप मुख्य शीर्ष–04 अल्पसंख्यको का कल्याण, लघु शीर्ष–277–शिक्षा, उप शीर्ष–0001–आवासीय विद्यालय, विपत्र कोड–30–2225042770001, 28–02 संविदा सेवाएँ मद में उपबंधित बजट से विकलनीय होगा।

कृ०पृ०उ०

9. संबंधित विद्यालय परिचारी, बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय की मानदेय एवं अन्य राशि की निकासी संबंधित जिला के उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के द्वारा की जायेगी।

10. संबंधित विद्यालय परिचारी के द्वारा आदेश निर्गत की तिथि से 15 दिनों तक अनिवार्य रूप से योगदान विभाग/संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा निर्धारित तिथि के बाद उनका नियोजन स्वतः रद्द समझा जाएगा।

11. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

(डा० अमीर आफाक अहमद फैजी)
विशेष सचिव–सह–निदेशक

ज्ञापांक– अ०सं०क० 08–ग–आ०वि०(स्था०)11/2024................../ पटना, दिनांक...........................

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री के आप्त सचिव/ सचिव के प्रधान आप्त सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
विशेष सचिव–सह–निदेशक

ज्ञापांक– अ०सं०क० 08–ग–आ०वि०(स्था०)11/2024................../ पटना, दिनांक...........................

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य हज समिति, पटना/संबंधित सहायक निदेशक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
विशेष सचिव–सह–निदेशक

ज्ञापांक– अ०सं०क० 08–ग–आ०वि०(स्था०)11/2024................../ पटना, दिनांक...........................

प्रतिलिपिः–संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
विशेष सचिव–सह–निदेशक

ज्ञापांक– अ०सं०क० 08–ग–आ०वि०(स्था०)11/2024................../ पटना, दिनांक...........................

प्रतिलिपिः– प्रधानाध्यापक, अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
विशेष सचिव–सह–निदेशक

ज्ञापांक– अ०सं०क० 08–ग–आ०वि०(स्था०)11/2024................../ पटना, दिनांक...........................

निबंधित

प्रतिलिपिः– श्री महबुब आलम, ग्राम–गोरखापटेशरी, पो०–ठाकुरगंज, थाना–ठाकुरगंज, जिला–किशनगंज, पिन–855116 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
विशेष सचिव–सह–निदेशक

ज्ञापांक– अ०सं०क० 08–ग–आ०वि०(स्था०)11/2024....706..../ पटना, दिनांक..12.02.2026..

प्रतिलिपिः– आई०टी०मैनेजर, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव–सह–निदेशक 12/2